भट्टा मजदूर

पत्रिका 07

सितम्बर – नवम्बर 2015

ईंट भट्टा उद्योग से बंधुआ मजदूरी का खात्मा

ईंट भट्ठा इकाई दरः मजदूरों का शोषण

भारत का ईंट भट्टा व्यावसायिक क्षेत्र जिस तरह से काम कर रहा है वह बंधुआ मजदूरी, गुलामी और श्रमिकों के उत्पीड़न और शोषण के कुचक्र एवं बाल मजदूरी को बढ़ावा देता है। ईंट भट्ठा क्षेत्र मौसमी श्रम पर आधारित है। मौसम आधारित काम, कम मजदूरी और गरीबी के कारण ज्यादातर मजदूर मालिकों से कर्ज लेते हैं और कर्ज के जाल/गुलामी की दलदल में फंस जाते हैं। एक बार कर्ज ले लेने के बाद मजदूर अपने रोजगार की स्थिति पर से नियंत्रण खो देते हैं।

ईंट भट्ठा में काम करने वाले मजदूरों को ईंट भट्ठा के मालिकों से मासिक मजदूरी नहीं मिलती, इसके बजाए, इकाई मजदूरी दर (पीस रेट वेजेज– पीआरडब्ल्यू) पद्धति के जरिए उनका आर्थिक शोषण

किया जाता है। पीआरडब्ल्यू के तहत मजदूरी निर्धारित किए जाने के कारण महिलाओं और बच्चों को अलग से मजदूरी नहीं मिलती। ज्यादातर मजदूर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के होते हैं जिनके पास शायद ही अपनी जमीन होती है। वे अनपढ़ भी होते हैं। उंची जाति के ईंट भट्ठा मालिकों के शोषण के खिलाफ वे अपनी आवाज बुलंद करने में असमर्थ हैं।

ईंट भट्ठा मालिक प्रति दिन ईंट उत्पादन को ज्यादा– से– ज्यादा करना चाहते हैं इसलिए इकाई मजदूरी दर (पीस रेट वेजेज– पीआरडब्ल्यू) के तहत, काम करने के घंटे कठिन और बहुत लंबे होते हैं। एक दिन में 8 घंटे और एक सप्ताह में 48 घंटे काम करने का सिद्धांत यहां देखने को नहीं मिलता। छुट्टी के दिन, बीमारी के लिए ली गई छुट्टियां या खराब मौसम की वजह से अस्थायी तौर पर काम नहीं हो पाने की स्थिति में मजदूरी नहीं दी जाती है। बाल मजदूरी बड़े पैमाने पर होती है क्योंकि माता– पिता को बच्चों से सहायता लेना जरूरी लगता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के शोषण का भी शिकार होना पड़ता है।

ईंट भट्ठों में मजदूरी के निर्धारण का तरीका ऐसा है कि मजदूरी कभी भी मजदूरों द्वारा किए गए मेहनत के हिसाब से नहीं होती। भट्ठे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की अनुसूची में हैं और विभिन्न राज्य सरकारों ने ईंट भट्ठा मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रकाशित की हुई है। पंजाब में, सरकार द्वारा घोषित पीआरडब्ल्यू मजदूरी को वास्तव में मिलने वाली मजदूरी से मेल नहीं खाता। अग्रिमों की भुगतान, खर्च किए जाने वाले धन के वितरण और अंतिम निपटान में पारदर्शिता की कमी है। (देखें बॉक्स 1: स्पष्ट अंतर)

इससे संबंधित कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानून मौजूद हैं लेकिन वे प्रभावी तरीके से काम नहीं करते। भारत भर में बड़ी संख्या में सतर्कता समितियां बनाई गई और कानून के तहत वे बेहद शक्तिशाली भी हैं, लेकिन आमतौर पर वे बेकार और अप्रभावी रही हैं। बीएलएसए 1976 अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिए जाने वाले दंड न के बराबर हैं। नियोक्ताओं/मालिकों पर शायद ही कभी मुकदमा चलाया जाता है।

बॉक्स 1: स्पष्ट अंतर

इकाई दर मजदूरी प्रणाली बनाम न्यूनतम मजदूरी दर में स्पष्ट अंतर		
वर्ष 2013 के अनुसार वस्तु दर (प्रति 1000 ईंट) (तालिका 1 देखें)	=	515.02 रुपये
चार लोगों के परिवार द्वारा प्रति दिन उत्पादन (एक दिन का औसत उत्पादन)	=	650 ईंट
चार लोगों के परिवार द्वारा एक महीने में उत्पादन (650 26 दिन)	=	16,900 ईंटें
चार लोगों के परिवार के लिए एक माह में टुकड़ा– दर मजदूरी (0.515 16900)	=	8703.8 रु.
चार लोगों के परिवार के लिए प्रति व्यक्ति मासिक आय	=	2175.9 रु.
चार लोगों के परिवार के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक आय	=	20.92 रु.
इकाई मजदूरी दर (पीआरडब्ल्यू) सामूहिक श्रम को देखता है और एक व्यक्ति, आमतौर पर परिवार के मुखिया, एक पुरुष, को भुगतान/मजदूरी देता है और महिलाओं एवं बच्चों की मेहनत को नजरअंदाज कर देता है।		
व्यक्तिगत अकुशल मजदूर की दर (प्रति माह)	=	6247.75 रु.
पीआरडब्ल्यू प्रति व्यक्ति मासिक आय बनाम मासिक मजदूरी दर के बीच का अंतर = 6247.75 रु.–2175.9 रु.	=	4,071.8 रु.
(ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूरों के किसी अन्य कौशल श्रेणी में आने पर आमदनी का यह अंतर बढ़ जाएगा)		

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017

फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org

सीईसी, वीएसजे एवं जेजेके व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत

इकाई मजदूरी दर को दूर करें - उचित न्यूनतम मजदूरी मांगें

अनौपचारिक क्षेत्र, खासकर ईंट भट्ठा उद्योग में मौजूदा घातक मजदूरी भुगतान प्रणाली को खत्म करने और समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियों के मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ***सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इनक्लूसिव पॉलिसी एंड डॉ. अम्बेडकर सेंटर, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (सीईसी), नई दिल्ली*** ने संयुक्त रूप से "इकाई दर मजदूरी और भारत के ईंट भट्ठों में मजदूरों की स्थिति" विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 9 अक्टूबर 2015 को किया था। यह संगोष्ठी भारत के ईंट भट्ठा उद्योग से बंधुआ मजदूरी को खत्म करने वाली परियोजना की राष्ट्रीय वकालत गतिविधि का हिस्सा है। इसे सीईसी ने ***वालन्टिर फॉर सोशल जस्टिस (वीएसजे), पंजाब*** और ***जन जागृति केंद्र (जेजेके), छत्तीसगढ़*** के साथ मिलकर लागू किया है। इस परियोजना में ***एंटी– स्लैवरी इंटरनेशनल, यूके*** सहयोग कर रही है। दी गई प्रस्तुतियों के कुछ अंश नीचे दिए जा रहे हैं–

"ईंट भट्ठों में, उसके मजदूरों के लिए काम करने एवं उनके रहन-सहन की संतोषजनक स्थितियों और उनके बच्चों की शिक्षा हेतु इकाई दर मजदूरी प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को मजदूरों के बड़े आंदोलनों से जोड़ा जाना चाहिए।"

पंजाब विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के भूतपूर्व प्रोफेसर और सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (क्रिड–सीआरआरआईडी), चंडीगढ़ के भूतपूर्व महानिदेशक सूचा सिंह गिल का कहना है कि, "ईंट भट्ठों में, उसके मजदूरों के लिए काम करने एवं उनके रहन–सहन की संतोषजनक स्थितियों और उनके बच्चों की शिक्षा हेतु इकाई दर मजदूरी प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को मजदूरों के बड़े आंदोलनों से जोड़ा जाना चाहिए।" इनके अनुसार, ऐसा करने से मजदूरों के शोषण को रोकने का रास्ता मिलेगा और वे पूंजीपतियों के चंगुल से खुद को आजाद करा पाएंगे। प्रो. गिल ने ये बातें राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिए अपने भाषण में कही थीं।

ईंट भट्ठा मालिक बहुत शक्तिशाली होते हैं और मजदूरों और उनके परिवार पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। उनमें से कई तो प्रभावशाली राजनेता भी हैं। इसलिए, अगर कोई मजदूर उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता भी है तो उन्हें झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है खासकर, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार करने वाले शख्स के तौर पर, जिसकी वजह से उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलती है।

ईंट भट्ठा उद्योग में बंधुआ मजदूरी बड़े पैमाने पर है और इनमें नीचली जातियों वाले मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। जब बात ईंट भट्ठों की आती है तो सरकार भी दोहरे मानदंड अपना लेती है। उद्योग के लिए मजदूरी फिर से तय की जाती है और अगर ऐसा होता है, तो यह मालिकों के ही पक्ष में होगा। इसलिए, इकाई–दर मजदूरी इस उद्योग में बनी हुई है।

पंजाब विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर मंजीत सिंह कहते हैं, "समाज को उद्योग में मजदूरी को कलंकित करने वाले कम मजदूरी को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए।" वे आगे कहते हैं, "ऐसा करने के लिए हमें मजदूरों में श्रम की मर्यादा और उनके आत्म–सम्मान की भावना बहाल करनी होगी।"

ईंट भट्ठा उद्योग में इकाई दर मजदूरी प्रणाली मजदूरों को उनके काम के प्रति जिम्मेदार बनाती है। दूसरे शब्दों में, अपना सुपरवाइजर खुद होने के नाते, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने शोषण का जिम्मेदारी उसे अपने पूरे परिवार को काम में लगाने के लिए मजबूर करती है। हालांकि शुरुआत में, वह लक्ष्यों को हासिल करता है, लेकिन समय के साथ आने वाले वर्षों में, मजदूरी में न्यूनतम संशोधन के साथ, जिंदा रहने के लिए वह अपने बच्चों को भी काम पर लगा देता है। बंगाल में, ईंट भट्ठा उद्योग मुख्य रूप से दूसरे राज्यों से आने वाले (प्रवासी) मजदूरों खासकर झारखंड, पर निर्भर है। ईंट भट्ठा में काम करने वाले मजदूर एक दूसरे से बहुत अलग रहते हैं और भट्ठे पर होने वाली हर एक गतिविधि बंद कमरों में की जाती है, इसकी वजह से मजदूरों का दूसरे समूह के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो पाती। कोलकाता के रबिन्द्र भारती विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग की डॉ. स्वाति घोष ने ***फ्रैग्मेंटेड लेबर एंड वेजेजः द ब्रिकफिल्ड्स ऑफ बंगाल*** में अपनी बात रखते हुए कहा कि "एकजुटता में ऐसी कमी संगठित होना बहुत मुश्किल कर देती है।"

भारत में, करीब एक लाख ईंट भट्ठे हैं जो लगभग 230 लाख (23 मिलियन) मजदूरों को काम देते हैं। यह देश के कुल कार्यबल का 5 फीसदी है। इस क्षेत्र के मजदूर एक दिन में 16 घंटों से अधिक काम करते हैं– और इस तरह बंधुआ मजदूर बन जाते हैं।

आरकेएम विवेकानंद कॉलेज, मायलापुर, चेन्नई के डॉ. तिरुनावाकारासू का कहना है कि, "इन मजदूरों के लिए मजदूरी मौजूदा कीमतों और क्रय शक्ति की आवश्यकता के आधार पर तय की जानी चाहिए"। वे आगे कहते हैं, "तमिलनाडु में हालांकि न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण श्रम बाजार संस्थानों के आधार पर किया जाना चाहिए जहां ट्रेड यूनियन मुख्य भूमिका निभाते हैं।"

ईंट भट्ठों में सबसे शोषक इकाई दरें हैं। पूरे दक्षिण भारत में ओड़ीशा के प्रवासी मजदूरों की

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017
फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org
सीईसी, वीएसजे एवं जेजेके व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत

संख्या सबसे अधिक है और ईंट भट्ठे इसके अपवाद नहीं हैं। ***एड–एट–एक्शन, भुवनेश्वर*** के क्षेत्रीय निदेशक उमी डेनियल का कहना है, "लेकिन इसके बावजूद, मजदूर खाली हाथ घर वापस लौटते हैं।" उनका कहना है," इकाई दर का विचार बच्चों को आकर्षित करता है और उनका ध्यान आसानी से शिक्षा से हट जाता है। लेकिन बच्चों का शोषण हो रहा है और ईंट भट्ठों में बच्चों की मौत की कहानियां असामान्य नहीं हैं।" उनके अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार के श्रम विभागों और ओडीशा की सरकार के बीच हुआ समझौता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते में आंध्र प्रदेश में रहने वाले ओड़ीशा के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के चावल देने का प्रावधान किया गया है।

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कार्यक्रम, एक्शन एड के राष्ट्रीय समन्वयक चंदन कुमार ने बताया कि, "हमें न्यूनतम मजदूरी के 273 रु. होने पर विचार करने की जरूरत है।" उन्होंने ईंट भट्ठों के लाभ का अनुमान लगाने के लिए उनके लेखापरीक्षा (ऑडिट) किए जाने की बात पर जोर दिया क्योंकि मजदूरी को कम किए बिना लाभ नहीं कमाया जा सकता। वे फिर कहते हैं कि, "उद्योग को मजदूरी का भुगतान करने और सरकार को मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा पर फोकस करने दें।"

अखिल भारतीय कृषि श्रमिक संघ के संयुक्त सचिव कामरेड सुनीत चोपड़ा कहते हैं कि, "भूमिहीनों को जमीन दें, सेज (एसईजेड) को नहीं"। वे आगे कहते हैं कि "बंधुआ मजदूरी से छुटकारा पाना है तो भूमि सुधार लागू करने होंगे। लोगों को घर बनाने, सब्जी लगाने आदि के लिए जमीन देनी होगी ताकि वे बंधुआ मुक्त जीवन जी सकें।" उनके अनुसार ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए, बड़े ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। "कृषि में मजदूरी प्रथाओं" पर दर्शकों से बातचीत करने के दौरान कामरेड चोपड़ा ने "इन मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है संगठित होना", पर जोर दिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार अनिल पराशर कहते हैं, "मानवाधिकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा के चार स्तंभों पर खड़ा है– लेकिन जब बात बंधुआ मजदूरी की आती है तो इन चारों अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।" इनके मुताबिक, मुख्य मुद्दा देश में बंधुआ मजदूरी की व्यपकता को नकारना है। वे आगे कहते हैं, "दुख की बात यह है कि, बंधुआ मजदूरी पर किसी भी सवाल का जवाब सरकार नहीं देती। जब तक हमारा समाज और हमारी सरकार बंधुआ मजदूरी की स्थिति को स्वीकार न करे तब तक इसका उन्मूलन असंभव है।"

राजस्थान प्रदेश ईंट भट्ठा मजदूर संघ के सचिव मदन बैष्णव का कहना है कि आजादी के 65 वर्षों के बाद भी बंधुआ, जातिवाद और अपर्याप्त मजदूरी पर चर्चा करना शर्म की बात है। वे दावे के साथ कहते हैं कि– "नियोक्ता, प्रशासन और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच सांठ– गांठ हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूरी की स्थिति कभी नहीं बदलेगी। एक शोषित मजदूर को सशक्त बनाया जाए और वह अधिक मजदूरी की मांग करे, इस विचार को आत्मसात करना किसी के लिए भी मुश्किल है।"

वालन्टिर फॉर सोशल जस्टिस (वीएसजे), पंजाब की सुश्री गंगा शेखर, यह मानती हैं कि, जब बात महिलाओं की हो तो ईंट भट्ठों में पूरी तरह से बंधुआ मजदूरी होती है क्योंकि ये उन मजदूरों में आती हैं जिन्हें मजदूरी करने के एवज में किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता।" वे कहती हैं कि, "इकाई दर को मासिक मजदूरी से बदले जाने की जरूरत है, ताकि बतौर मजदूर महिलाओं की खुद की पहचान हो और उन्हें उनकी मजदूरी मिल सके।"

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के मुख्य श्रम आयुक्त डॉ. ओंकार शर्मा का कहना है कि, "सिर्फ सरकार पर निर्भर रहने के बजाए, ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए हमें खुद का निरीक्षणालय बनाने की जरूरत है। कल्याण संगठनों और ट्रेड यूनियनों के कुछ सक्षम लोगों को क्षमता निर्माण का काम सौंपना चाहिए ताकि वे सभी प्रकार का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत कर सकें।"

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017
फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org
सीईसी, वीएसजे एवं जेजेके व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत

इकाई–दर को समाप्त करने का अभियान

वालन्टिर फॉर सोशल जस्टिस (वीएसजे), पंजाब ने ईंट और टाइल बनाने वाली अलग–अलग भट्ठियों में मौजूदा मजदूरी प्रणाली पर काफी गहराई से अध्ययन किया है और मजदूरों और पंजाब के श्रम विभाग के साथ अपने अध्ययन और उसके निष्कर्षों पर यहां की इकाई–दर मजदूरी अभियान को आसान बनाने के लिए चर्चा की शुरुआत की है।

अध्ययन के मुताबिक ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों का बंधुआ बनाया जाना, उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण करना और इन भट्ठियों में बड़े पैमाने पर होने वाली बाल मजदूरी की वजह इकाई–दर–मजदूरी प्रणाली प्रमुख कारण है।

अध्ययन कहता है कि इकाई-दर-मजदूरी प्रणाली की वजह से

- न्यूनतम मजदूरी पाने के लिए लक्षित 1000 ईंटों को बनाने के लिए श्रमिकों को उनकी उम्र और शक्ति से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- चूंकि सिर्फ पुरुष प्रमुख को श्रमिक माना जाता है और सिर्फ उसे ही मजदूरी दी जाती है, परिवार द्वारा अर्जित मजदूरी नशीली दवाओं और शराब में बर्बाद हो जाती है।
- भट्ठे पर काम करने वाले महिलाओं को मजदूर नहीं माना जाता और इसलिए वे इकाई–दर–मजदूरी की हकदार नहीं होतीं।
- चूंकि काफी बड़े लक्ष्य को पूरा करना होता है, माता–पिता ईंट बनाने में बच्चों की मदद लेना ठीक समझते हैं जिससे ईंट भट्ठों में बाल मजदूरी तेजी से बढ़ती है।
- चूंकि मजदूरी तैयार की जाने वाली ईंटों की संख्या के आधार पर दी जाती है इसलिए छुट्टी के दिन, बीमारी की वजह से ली गई छुट्टी या मौसम खराब होने की वजह से अस्थायी रूप से काम के बंद होने पर मजदूरी नहीं दी जाती।

वीएसजे के अनुसार, अगर इकाई-दर-मजदूरी की जगह मासिक/दैनिक न्यूनतम मजदूरी दी जाए तो-

- महिलाएं स्वतंत्र मजूदर मानीं जाएंगी और उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, साथ ही उनमें खुद को संगठित करने की क्षमता आएगी और यूनियन में वे नेतृत्व की भूमिका भी निभा सकेंगीं।
- इकाई दर के एक बार हटाए जाने के बाद, बाल मजदूरी की गुंजाइश कम होगी और धीरे–धीरे ईंट भट्ठों से बाल मजदूरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
- ईंट भट्ठों में बंधुआ मजदूरी की प्रथा कम होगी और धीरे–धीरे खत्म हो जाएगी।
- नियोक्ताओं को भी फायदा होगा क्योंकि उनके पास स्थायी कर्मचारी होंगे। इसके अलावा, मजदूर लाने के लिए जो वो काफी बड़ी धनराशि का भुगतान पहले करते थे, इससे भी उनको छुटकारा मिल जाएगा।
- अभी रोजाना 12–18 घंटे काम करना होता है। यह खत्म हो जाएगा और उचित ओवरटाइम के साथ काम–काज के सामान्य घंटों में काम होगा।

सूची में दिए गए 71 रोजगारों में से ईंट भट्ठा उद्योग ही एक मात्र गैर–आवास आधारित उद्योग है और इकाई–दर मजदूरी प्रणाली पर काम करता है। वीएसजे इस पर पूरी तरह से जातीय भेदभाव का आरोप लगाते हैं क्योंकि पंजाब में ईंट भट्ठों पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूर अनुसूचित जातियों के हैं।

क्या मासिक मजदूरी, इकाई-दर मजदूरी से अधिक आकर्षक है

पंजाब में, 1000 ईंट बनाने पर दी जाने वाली मजदूरी है 515 रु. जबकि ट्रेड यूनियन 615 रु. की मांग कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी पर बनी सहमति से भी कम मजदूरी दी जा रही है। अध्ययन के दौरान मजदूरों और उनके परिवारों से बातचीत की गई और पता चला कि एक वर्ष में वे रोजाना 12 घंटे काम कर ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 ईंट बना सकते हैं।

द्वारा CEC BUILDING A WIDER HORIZON WITH LABOUR सहभागी Volunteers for Social Justice & Dalit Dasta Virodhi Andolan सहयोग anti-slavery today's fight for tomorrow's freedom

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017
फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org
सीईसी, वीएसजे एवं जेजेके व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत